20/6/17

प्रार्थनापत्र आज न्याय अदालत डीडवाना में पेश हुआ। पक्षकारान उपस्थित मामले आज में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। वादी रमी व खेताराम आदि की चौथाराम मौत हो चुकी है। इन व्यक्तियों के खिलाफ दावा नहीं चलाया जा सकता। मामले आज में जानकारी में आया कि रमी देवी, चौथाराम की पत्नी थी। खेताराम की पत्नी थी। मोकाराम की पत्नी थी। दावा सारवीन व अभाग्यशील होने से खारीज किया जाता है निर्णय सुनाया गया। प्रार्थनापत्री के मुताबिक खर्चा लिए दावा दफा 17

(सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner